यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
सीन अधिकारी:—श्रीमति टीना डाबी, आई0ए0एस0
दमा नम्बर:—73/2018 राजस्व वाद
श्री गोपाल लाल पिता लादूलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तह.भीलवाड़ा
शांता देवी पिता लादूलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तहसील भीलवाड़ा
श्री शंभूलाल पिता शंकरलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तह. भीलवाड़ा
श्री शोभालाल पिता शंकरलाल ब्राहमण, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तह. भीलवाड़ा
दुर्गादेवी पुत्री शंकरलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तहसील भीलवाड़ा
पारस पुत्री शंकरलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तहसील भीलवाड़ा
संतोष पुत्री शंकरलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी हरणींकंला तहसील भीलवाड़ा
देलखुश पिता स्वर्गीय कैलाश ब्राहमण, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तह. भीलवाड़ा
आशुतोष पिता स्वर्गीय कैलाश ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तह. भीलवाड़ा
-प्रियंका पुत्री स्वर्गीय कैलाश ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तह. भीलवाड़ा
-चंदा पुत्री स्वर्गीय कैलाश ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तह. भीलवाड़ा
-उर्मिला पुत्री स्वर्गीय कैलाश ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तह. भीलवाड़ा
-लीला बेवा स्वर्गीय कैलाश ब्राहमण, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तह. भीलवाड़ा
-बदाम बाई बेवा शंकरलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तह. भीलवाड़ा
तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
राजस्थान) ——प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
एंव सपठित धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

स्थित:—

श्री हरदयाल वर्मा — एडवोकेट—वादीगण

:: नि र्ण य :: दिनांक:—26.6.2019

संक्षिप्त में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88—89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 136 ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गण के पिता व पितामह स्वर्गीय लादूलाल पिता रामकरण ब्राहम्ण, निवासी हरणीकंला खातेदारी अधिकार की साबिक आराजी नम्बर 2/2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा ग्राम लपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित थी। जिसके हाल नम्बर 1 व 2 रकबा 5 या कायम होकर स्थित हैं। वादीगण के पिता व पितामह स्वर्गीय लादूलाल जी के का नाम रामकरण ब्राहम्ण था। जमाबंदी की नकल सम्वत् 2002 में भी लादूलाल रामकरण ब्राहम्ण ही दर्ज रेकार्ड है तथा यही नाम सहीं हैं। सम्वत् 2002 की

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

ाबंदी के बाद रोटेशन की जमाबंदी बनाते समय वादीगण के पिता व पितामह
ूलाल जी के पिता का नाम रामकरण के बजाय कही रामलाल व कहा रामपाल दर्ज
दिया जो एक दम गलत इन्द्राज हैं। जो काबिल दुरूस्तगी के है। स्वर्गीय लादूलाल
पिता का सही नाम रामकरण ब्राहम्ण था। लादूलाल जी का मृत्यु प्रमाण–'पत्र पेश
ा है जिसमें भी रामकरण ब्राहम्ण ही अंकित हैं। राजस्व कर्मचारियों की गलती से
ूलाल जी के पिता का नाम रामकरण ब्राहम्ण के बजाय रामलाल व रामपाल दर्ज कर
ा जो कि एक लिपिकीय भूल है जो काबिल दुरूस्तगी के हैं। प्रतिवादी के यहॉ
ागण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इन्द्राज दुरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन उनके
करने से यह वाद पत्र पेश करने की नौबत आई। उक्त गलत इन्द्राज होने की
ांक व अभी हाल ही में दिनांक 10.2.2018 को इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी द्वारा
करने से कारण वाद वादीगण को प्रतिवादी के विरूद्व उत्पन्न होकर लगातार जारी
अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर डिकी बहक वादीगण विरूद्व
वादी के सादिर फरमाई जावें।

वकील वादीगण का वाद पत्र दिनांक 23.3.2018 को पंजीबद्व किया
र जरिये सम्मन प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी का सम्मन बाद तामिल
ा हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी को कितनी ही मर्तबा विधिवत्
ाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 12.4.2019 को
तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में गोपाल पिता लादूलाल
शपथ–'पत्र, जमाबंदी की नकल सम्वत् 2070 से 2073 की नकल, लादूलाल का मृत्यु
ग–पत्र की फोटो प्रति, जमाबंदी की नकल सम्वत् 2002 की नकल प्रमाणित प्रति,
न क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति सम्वत् 2026 प्रस्तुत की। जिसे शामिल पत्रावली किये
वकील वादीगण द्वारा और कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण
ावेज प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया।

वकील वादीगण ने वाद पत्र की ताईद में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं
जाने के कारण साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

वकील वादीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील वादीगण
एक तरफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील वादीगण ने वाद पत्र में अंकित
ें, दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एक तरफा बहस पर मनन
ा गयां । विवादित आराजियात ग्राम सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित
र लादू पिता रामकरण ब्राहम्ण साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। जिसके आराजी
र 2/2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा दर्ज हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख
ाबंदी की नकल सम्वत् 2002 की प्रमाणित प्रति से होती हैं। साबिक आराजी नम्बर
2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा के हाल नम्बर 1 रकबा 4 बिस्वा, व आराजी 2 रकबा 1
ो कायम हुये। जो लादू पिता रामलाल ब्राहम्ण के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जिसकी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

ईद मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति से होती हैं। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विवादित राजियात लादू पिता रामपाल ब्राहम्ण साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। जिसकी ईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2070 से 2073 से होती हैं। तुत दस्तावेजों व वादपत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार विवादित आराजियात ग्राम लपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर साबिक आराजी नम्बर 2/2 रकबा बीघा 3 बिस्वा लादू पिता रामकरण ब्राहम्ण साकिन देह के नाम दर्ज थी। किन्तु ेशन के समय विवादित आराजियात का राजस्व रेकार्ड में अंकन करते समय लादू ा रामलाल ब्राहम्ण व लादू पिता रामपाल दर्ज कर दिया गया। जिसकी ताईद प्रस्तुत ाबंदी की नकल व मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रतियों से होती हैं। जबकि वादीगण पिता के पितामह का नाम लादू पिता रामकरण ही था। उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड इन्द्राज दुरूस्त करा अंकन कराना चाहते हैं। प्रतिवादी ने वाद पत्र के खण्डन में कोई ाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्व ाने में सफल रहने के कारण वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित झती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण द्व प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सबलपुरा तहसील व ा भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1 रकबा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 2 रकबा बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता व पितामह लादू पिता ाल व रामलाल के बजाय लादू पिता रामकरण ब्राहम्ण इन्द्राज दुरूस्त किये जाने का श दिया जाता हैं। उसी अनुसार भूमि वादीगण के पिता व पितामह लादू पिता करण ब्राहम्ण साकिन देह के नाम दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन । तद्नुसार डिक्री जारी हो।

(टीना डाबी)
आई. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 26.6.2019 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले ालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner